	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 12, बुधवार, शाके 1943-नवम्बर 03, 2021 *Kartika 12, Wednesday , Saka 1943- November 03, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 28, 2021

जी.एस.आर.369 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) "आश्रित" से अभिप्रेत है,-

(i) पति या पत्नी, या

(ii) पुत्र जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, या

(iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन विवाह पुत्री जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैद्य रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है, या

(iv) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृत सरकारी कर्मचारी का अन्य कोई आश्रित उपलब्ध न हो, या

(v) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माता,पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णत: आश्रित थे।"

[सं.एफ.5(51) डीओपी/ए-II/88 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, October 28, 2021

G.S.R.369 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- The existing clause (c) of rule 2 of the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependants of Deceased Government Servants Rules, 1996 shall be substituted by the following, namely:-

"(c) "Dependent" means,-

(i) Spouse, or

(ii) son including son legally adopted by the deceased Government servant during his/her life time, or

(iii) unmarried/widowed/divorced daughter including daughter legally adopted by the deceased Government servant during his/her life time, or

(iv) married daughter, if no other dependent of the deceased Government servant mentioned in clause (ii) and (iii) above is available, or

(v) mother, father, unmarried brother or unmarried sister in case of unmarried deceased Government servant,

who was wholly dependent on the deceased Government servant at the time of his/her death."

[No. F. 5(51)DOP/A-II/88 Pt.]

By Order and in the name of the Governor,

JAI SINGH,

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।